भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1062

उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

मध्याह्न भोजन योजना द्वारा स्कूलों में उपस्थिति और रोजगार में वृद्धि

1062. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और उन्हें विटामिन युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) लागू की है जिससे प्रत्येक प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालय में रसोइयों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं;
(ख) क्या मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत भोजन की आपूर्ति का कार्य उत्तर प्रदेश के चंदौली सहित संपूर्ण देश में बड़े उद्योगपतियों को सौंपा गया है जिसके कारण भोजन की गुणवत्ता में गिरावट आई है और लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं; और
(ग) क्या सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना को पूर्व तंत्र की तर्ज पर लागू किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका (कक्षा I से ठीक पहले) और कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले बच्चों को पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। इस योजना के प्राथमिक उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) में बाल वाटिका और कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना।

ii. वंचित वर्गों से संबंधित गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना।

iii. गर्मी की छुट्टियों और आपदा के समय सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।

पीएम पोषण दिशा-निर्देशों के अनुसार, भोजन को पकाने/ पके हुए भोजन की आपूर्ति की जिम्मेदारी, जहाँ तक संभव हो, निम्नलिखित में से किसी एक को सौंपी जानी चाहिए:

- रसोइया-सह-सहायक
- स्थानीय महिलाओं/माताओं का स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)
- नेहरू युवक केंद्रों से संबद्ध स्थानीय युवा क्लब
- एक स्वैच्छिक संगठन (जैसा कि सीएसओ/एनजीओ की सहभागिता के लिए दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट है)

कुल 24.80 लाख रसोइया-सह-सहायक नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से 90% से अधिक महिलाएं हैं। 24.80 लाख रसोइयों में से 21% अनुसूचित जाति, 15% अनुसूचित जनजाति, 42% अन्य पिछड़ा वर्ग और 7% अल्पसंख्यक हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि चंदौली जिले में पीएम पोषण योजना का संचालन स्वयंसेवी संस्था नामत: ग्रामीण महिला विकास एवं कल्याण संस्थान, मोदी नगर, गाजियाबाद द्वारा किया जाता है। चंदौली जिले में कुल 4450 रसोइये कार्यरत हैं। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स द्वारा भोजन की गुणवत्ता की जांच की जाती है। रसोइयों के चयन से संबंधित प्रक्रिया सरकार के अनुदेशों के अनुसार की जाती है।
